न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 116/2019 (Bank Case)

"असेट री–कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (ARCL) एक पंजीकृत कम्पनी पंजीकृत कार्यालय दॉरूवी, दसवीं मंजिल, 29 सेनापति वापत मार्ग, दादर, वेस्ट मुम्बई–400028 तथा शाखा कार्यालय यूनिट नम्बर304–305 रूपा सोलिटेयर, बिल्डिंग नम्बर ए–1, मिलेनियम बिजनेस पार्क, सेक्टर–1, ठाणे–बेलापुर रोड, महपे, नेवी मुम्बई जरिये प्रधिकृत अंधिकारी श्री दत्तात्रे निमगिरे

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्रीमति विद्या पारेता पत्नि श्री किशन गोपाल पारेता, निवासी–मकान नम्बर 270, कॉमपिटीशन कॉलोनी महावीर नगर, वार्ड नम्बर 12, कोटा राजस्थन ।
2. किशन गोपाल पारेता पुत्र श्री गौरी शंकर पारेता, निवासी–मकान नम्बर 270, कॉमपिटीशन कॉलोनी महावीर नगर, वार्ड नम्बर 12, कोटा

(ऋणी/जमानतदार)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्संट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री अमरसिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 05.11.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है "असेट री–कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (ARCL) एक पंजीकृत कम्पनी पंजीकृत कार्यालय दॉरूबी, दसवीं मंजिल, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर, वेस्ट मुम्बई–400028 तथा शाखा कार्यालय यूनिट नम्बर304–305 रूपा सोलिटेयर, बिल्डिंग नम्बर ए–1, मिलेनियम बिजनेस पार्क, सेक्टर–1, ठाणे–बेलापुर रोड, महपे, नेवी मुम्बई में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने दिनांक 17.01.2017 को रूपये 4,99,885/–(अक्षरेः रूपये चार लाख, नन्यानवें हजार आठ सौ पिच्यांसी मात्र) एवं 7,03,277/– का ऋण लिया था अप्रार्थी सं0 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति आवासीय निर्मित आवासीय मकान नम्बर 270, कम्पीटीशन कॉलोनी, कोटा जिसका क्षैत्रफल 24 वर्गमीटर है जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2010 से श्रीमति विद्या पारेता पत्नि श्री किशन गोपाल पारेता के नाम है, जिसकी चर्तुः सीमाएं :– पूरब में– अन्य मकान, पश्चिम में– रोड 10 फुट चौड़ा, उत्तर में–मकान संख्या 269, दक्षिण में– मकान संख्या 271** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक. 05.08.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 5,47,978/– (अक्षरे रूपये पांच

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

लाख, सैंतालिस हज़ार, नौ सौ अठ्हत्तर मात्र)खाता संख्या SBTHKOTA0000046 व रूपये 7,53,926/– (अक्षरेः सात लाख, तरेपन हजार, नौ सौ छब्बीस मात्र) खाता संख्या SBTHKOTA0000047 बकाया रकम दिनांक 16.10.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 28.11.2018 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र कामयाव कलम एवं अंग्रेजी समाचार पत्र दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 14.12.2018 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 28.11.2018 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र कामयाब कलम एवं अंग्रेजी समाचार पत्र दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 14.12.2018 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 28.11.2018 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र कामयाब कलम एवं अंग्रेजी समाचार पत्र दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 14.12.2018 को प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति आवासीय निर्मित आवासीय मकान नम्बर 270, कम्पीटीशन कॉलोनी, कोटा जिसका क्षैत्रफल 24 वर्गमीटर है जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2010 से श्रीमति विद्या पारेता पत्नि श्री किशन गोपाल पारेता के नाम है, जिसकी चर्तुः सीमाएं :– पूरब में– अन्य मकान, पश्चिम में– रोड 10 फुट चाड़ा, उत्तर में–मकान संख्या269, दक्षिण में– मकान संख्या 271** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 05.11.2019 को सुनाया गया ।

जिला कलेक्टर
कोटा

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner